संख्या–106 /II-2017-01(15 स्थापना)/2017

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

लघु सिंचाई अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 31 जनवरी ~~फरवरी~~, 2018

विषयः– लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता का ग्रेड वेतन उच्चीकृत किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–220 /XXVII(7)/50(16)/2014 T.C दिनांक 31.10.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वेतन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के कम में उत्तराखण्ड राज्य के अभियंत्रण विभागों में सृजित अधीक्षण अभियन्ता के पद का वेतनमान ₹15600–39100 ग्रेड वेतन ₹7600 (अपुनरीक्षित वेतनमान) को वेतनमान ₹37400–67000 ग्रेड वेतन ₹8700 (अपुनरीक्षित वेतनमान) पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स लेवल–13 (₹118500–214100) में उच्चीकृत किये जाने की सहमति व्यक्त की गयी है।

2– वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 31.10.2017 के कम में श्री राज्यपाल लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता के पद का वेतनमान ₹15600–39100 ग्रेड वेतन ₹7600 (अपुनरीक्षित) के स्थान पर वेतनमान ₹37400–67000 ग्रेड वेतन ₹8700 (अपुनरीक्षित) पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स लेवल–13 (₹118500–214100) में शासनादेश जारी होने की तिथि से उच्चीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उक्तानुसार उच्चीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के सुसंगत नियम में उल्लिखित प्रकिया के अनुसार किया जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0– 98/XXVII(7)/2018 दिनांक 23 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

क्रमशः......2

zzD:\Sanjeev\Draft 2016.doc